झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–506 वर्ष 2017

मैरी गोरेती टोप्पो, पुत्री–स्वर्गीय साइमोन टोप्पो, निवासी ग्राम–बागीचा टोली, डाकघर–आर0के0एम0 सेनेटोरियम (टिपुदाना), थाना–धुर्वा, जिला–रांची (झारखण्ड)

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखण्ड)
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग, एम0डी0आई0 बिल्डिंग, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखण्ड)
4. जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–रांची (झारखण्ड)
5. क्षेत्रीय क्षेत्र शिक्षा अधिकारी, अंगारा, डाकघर एवं थाना–अंगारा, जिला–रांची (झारखण्ड)

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री ए0के0 दास, अधिवक्ता

उत्तरदाता राज्य के लिएः– श्री आर0के0 शाही, ए0ए0जी0 का जे0सी0

03 / 20.03.2017 तात्कालिक रिट में की गई प्रार्थना की प्रकृति को देखते हुए याचिका, मामले में एक जवाबी हलफनामा की आवश्यकता नहीं है और पार्टियों के लिए उपस्थित होने वाले वकील की सहमति से, रिट याचिका का निपटारा इस चरण पर ही किया जाता है।

2. याचिकाकर्ता का दावा है कि 07.07.2014 को जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार, एक सहायक शिक्षक, गेब्रियल टुटी की दिनांक 30.11.2004 को सेवानिवृति के कारण, याचिकाकर्ता ने फातिमा बॉयज मिडिल स्कूल, हुलहुंडु, रांची में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। उन्हें योग्य पाया गया और उनकी नियुक्ति दिनांक 09.06.2015 के पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची द्वारा अनुमोदित की गई। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा ने अपने पत्र दिनांक 09.09.2015 के माध्यम से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा जिनमें से एक मुद्दा यह था कि क्या आधिकारिक सदस्य चयन समिति की बैठक में भाग लिया था या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची ने दिनांक 07.12.2015 के पत्र द्वारा क्षेत्र शिक्षा अधिकारी को स्पष्टीकरण भेजा गया था। हालांकि अन्य दो मुद्दों पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा प्रतिवादी सं0 3 को कोई स्पष्टीकरण नहीं भेजा गया है। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उत्तरदाताओं की ओर से देरी के कारण, उसे वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, हालांकि, वह दिनांक 01.08.2014 से सहायक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। राज्य के विद्वान वकील द्वारा यह विवादित नहीं किया गया है कि जब तक याचिकाकर्ता की नियुक्ति निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है, तब तक सहायक शिक्षक के रूप में

याचिकाकर्ता की नियुक्ति को मान्य नहीं किया जा सकता है और उसे उसके वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

3. ऐसे परिस्थितियों में, दिनांक 09.09.2015 के पत्र में परिलक्षित मुद्दों पर जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची–प्रतिवादी सं0 4 को संबंधित रिकॉर्ड और राज्य सरकार की आरक्षण अधिसूचना के आधार पर चार सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया उत्तरदाता सं0 3 को अग्रेषित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। प्रत्यर्थी सं0 3 द्वारा आवश्यक सूचना प्राप्त होने के बाद, कानून के अनुसार, अगले चार सप्ताह के भीतर एक निर्णय लिया जाएगा।

4. रिट याचिका प्रतिवादी सं0 3 और 4 को उपरोक्त निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

5. आदेश की एक प्रति राज्य के विद्वान वकील को दी जाए।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)